R. Mehrotra

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांकः 2015/12889/केएनसी/का0न0/399/सीएफओ दिनांकःअगस्त 18 ,2015

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

विषयः श्रीमती रूपा गोयल द्वारा भूखण्ड स0 एम–02, चकेरी एल0आई0 एण्ड सी0एफ0 एरिया जी0टी0 रोड कानपुर नगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किऐ जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ– आपका पत्रांकः 761/भवन/15–16 दिनांकः 15.7.15

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त भवन के मानचित्र एवं अन्य अभिलेख प्रेषित कर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग आवासीय बहुमंजिली भवन हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है।

प्रश्नगत आवासीय बहुमंजिली भवन के प्रेषित मानचित्रों एवं स्थल का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा कराया गया तथा निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांकित 17.8.15 एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या विन्दुवार निम्नवत हैः–

भवन की संरचना :–

1 भूखण्ड का कुल एरिया 2280.00 वर्गमी0।
2. भूतल (स्टिल्ट)का कवर्ड एरिया 765.59 वर्गमी0।
3. प्रथमतल का कवर्ड एरिया 764.76 वर्गमी0
4. द्वितीय तल से छठें तल तक प्रत्येक तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया 744.88 वर्गमी0।
5. मम्टी का कवर्ड एरिया 28.53 वर्गमी0
6. शॉप का कवर्ड एरिया 32.05 वर्गमी0
7 प्रस्तावित बेसमेन्ट(पार्किंग) का कवर्ड एरिया 899.00 वर्गमी0
8 भवन की ऊचाई 20.10 मी0।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय भवन (ए–4)–2 की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्था :–

1. **पहुॅच मार्ग**– भूखण्ड के सामने 30.00 मीटर चौडाई का रोड मानचित्रों में प्रस्तावित है।
2. **प्रवेश द्वार की चौडाई–** 6.00 मीटर के दो प्रवेश/निकास द्वार प्रस्तावित है जो मानक के अनुसार है।
3. **सैटबैक** – मानचित्रों के साइट प्लान में प्रस्तावित भवन का सेट बैक निम्नप्रकार हैः–

C.F.O.

ए– अग्रभाग– 7.87 मीटर।

बी–पृष्ठभाग– 11.73 मीटर ।

सी–पार्श्व प्रथम– 7.61 मीटर।

डी–पार्श्व द्वितीय– 8.45 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सेट बैक भवन विनियमावली के अनुसार है जिसे सदैव अवरोधमुक्त रखा जाये। सेट बैक में किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4 **निकास मार्ग**– प्रस्तावित भवन में स्टिल्ट फ्लोर मे 1.50 मी0 चौडाई के 03 स्टेयरकेस प्राविधानित हैं तथा प्रथम तल से छठें तक तक कमशः 1.20 मी0 व 1.50 चौड़ाई के 02 स्टेयरकेसो व 02 लिफ्टों का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर व समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। उक्त के अतिरिक्त बेसमेन्ट में 02 स्टेयर व 02 लिफ्टो व एक कार लिफ्ट का भी प्राविधान मानचित्रों में किया गया है।

5. रिफ्यूज एरिया का विवरण– निल

<u>प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :–</u> नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी आवश्यक है–

1 **भूमिगत टैंक**– आवश्यक नहीं।

2 **पम्प**– आवश्यक नहीं

3. **होजरील**– प्रस्तावित भवन में होजरील आई0एस0 884–1985, लैण्डिंग बाल्व आई0एस0–5290–1993 के मानकों के अनुसार प्राविधानित किया जाये।

4. **डाउनकामर**–एनबीसी मानकों के अनुसार डाउनकामर सिस्टम प्रत्येक तल पर लैण्डिंग वाल्व मय होजबाक्स सहित प्राविधानित है।

5. **यार्ड हाइड्रेन्ट, होज कैबिनेट एवं डिलेवरी होज, ब्रांचपाइप व फायर सर्विस** इनलेट–आवश्यक नहीं।

6. **हस्ताचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम**– भवन के प्रत्येक तल में मैनुअली आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक है।

7. **स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**–आवश्यक नहीं है।

8. **स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**– बेसमेन्ट में एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुरूप प्राविधान कराया जाना आवश्यक है, जिसे ओवरहेड टैंक व टैरेस पम्प से जोडा जायेगा।

9. **टैरेस टैंक**– भवन के प्रत्येक स्टेयर के टैरेस पर 25 हजार लीटर क्षमता के टैरेस टैंक प्राविधानित किया जाये।

10. **टैरेस पम्पः**– भवन के प्रत्येक स्टेयर के समीप स्थापित टैरेस टैंक के पास 900 एलपीएम के टैरेस पम्प का प्राविधान कराया जाना आवश्यक है।

11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)**– सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्यूशरों का आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

12 **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम**– स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम–

ए– फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग– 2 घंटा

बी– सिस्टम की मैकअप एयर हेतु व्यवस्था– आवश्यक है।

सी– स्मोक रिजर्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण–आवश्यकता है।

13. **प्रेशराइजेशन प्रणाली**–

C.F.O.

1. स्थानों पर प्रेशराइजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फैन्स की डक्टिंग इत्यादि आवश्यक नही है।
2. प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टलॉकिंग– आवश्यक नही है।

14. **एक्जिट साइनेज–** सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
15. **पी0ए0 सिस्टम–** पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन मे किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तावित भवन के समस्त निकास मार्गो, कारीडोरों की प्रकाश व्यवस्था, फायर पम्पों तथा फायर लिफ्ट हेतु प्रथक सर्किट पर आधारित वैकल्पिक विद्युतश्रोत (जनरेटर) का प्राविधान किया जाय।
17. टेरेस से बेसमेन्ट तक जाने वाले स्टेयरकेसों को भूतल पर पैनिक बार का प्राविधान कर सुरक्षित स्थान पर उतारा जाये।
18. समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन हेतु कन्ट्रोल पैनल भूतल पर बनाया जाये तथा इसके कुशल संचालन हेतु अग्निशमन के प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जाये।

अतः अग्निशमन अधिकारी जाजमऊ की संस्तुति के आधार पर श्रीमती रूपा गोयल द्वारा भूखण्ड सं0 एम–02, चकेरी एल0आई0 एण्ड सी0एफ0 एरिया जी0टी0 रोड कानपुर नगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवासीय भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा एन0बी0सी0 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नःअनुमोदित मानचित्र।

18.8.15
(वी0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर नगर

प्रतिलिपिः–

1. अग्निशमन अधिकारी, जाजमऊ, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्रीमती रूपा गोयल निवासी 486 डी पोखरपुर लाल बंगला, कानपुर नगर को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।